राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1095/2024

गोपाल लाल जाखड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. रमेश कुमार टेलर, कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय राजोली, सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.02.2024

आदेश की दिनांक : 19.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मु. नला गार्डन उप निदेशक उद्यान, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मु. राजोली सहायक

निदेशक कृषि विस्तार दौसा किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानन्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी एक्स आर्मी व्यक्ति है और उसके माता–पिता गंभीर बीमारी से पीडित हैं, जिनका उपचार चल रहा है, फिर भी बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मु. नला गार्डन उप निदेशक उद्यान, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मु. राजोली सहायक निदेशक कृषि विस्तार दौसा किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। अपीलार्थी वर्ष 2019 से एक ही स्थान पर पदस्थापित था और लगभग 4 वर्ष लम्बे समय अंतराल बाद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य